क्रम-संख्या—54

[उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1969) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में राज्यपाल के प्राधिकरण से प्रकाशित प्रमाणिक हिन्दी पाठ ।]*

उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम), 1950

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950)

[विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा विहित करने के लिए]

अधिनियम

भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की व्यवस्था है कि किसी राज्य के विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा से भिन्न अन्य भाषा हो सकती है यदि विधान मंडल ने ऐसा विहित किया हो,

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950 कहलायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

विधेयकों तथा अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी होगी ।

2—उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी ।

---

*उ0प्र0 असाधारण गजट, दिनांक 13 अक्तूबर, 1969 में प्रकाशित ।